

कार्यालय जिलाधिकारी कासगंज।
(खनन अनुभाग)

विज्ञप्ति का प्रारूप

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद कासगंज में नदी तल में उपलब्ध बालू, गोरम, बजरी आदि के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या-1875/86-2017-57(सा0)/2017 TC1 दिनांक 14.08.2017 में दिये गये निर्देशानुसार ई निविदा सह ई नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के अध्याय-4 के अन्तर्गत खनन पट्टा पर पूर्व में आमन्त्रित निविदाओं को निरस्त करते हुए, पुनः स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नवत् घोषित किया जाता है :-

क्षेत्र का विवरण :-

क्र0 सं0	उपखनिज का नाम	नदी का माप	क्षेत्र का विवरण	गाटा सं0/खण्ड सं0	क्षेत्रफल (हे0मी)	नियमावली 1963 के अनुसूची 1 के अनुसार रायल्टी दर (रु0 प्रति घनमीटर)	खनन योग्य आंकलित उपखनिज का भण्डार (घनमीटर प्रतिवर्ष)	प्रथम वर्ग में आंकलित भण्डार की कुल रायल्टी रूपयों में (कोलम 9 में अंकित घनमीटर प्रतिवर्ष को 8 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल घनराशि)	अनेस्ट मनी (कोलम 10 में अंकित सकल घनराशि का 25 प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	साधारण बालू	गंगा	कासगंज	अल्लीपुर बरवाथा खाम	46/9	8.384	65	104500	6792500	1698125
2	साधारण बालू	गंगा	सहावर	मनिकापुर खाम	5	23.225	65	250000	16250000	4062500

ई निविदा सह ई नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :-

प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकाशन)	प्रथम दिन
ई0एम0डी0 घनराशि जमा करने की अन्तिमतिथि	22.10.2018
प्रथम चरण ई-निविदा(ई-टैण्डर) की अवधि	23.10.2018(पूर्वाह्न 10 बजे से) 26.10.2018 (सायं 5.00 बजे तक)
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड)का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	27.10.2018 से 28.10.2018 तक
द्वितीय चरण ई-नीलामी की अवधि	अ- कम सं0 1 हेतु दिनांक 29.10.2018 पूर्वाह्न 10 बजे से 1.00 बजे तक। ब- कम सं0 2 हेतु दिनांक 29.10.2018 अपराह्न 02 बजे से 5.00 बजे तक।

ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर देखा जा सकता है।

/ **जिलाधिकारी**
कासगंज

संख्या- 154 / खनिज दिनांक- 12-10-, 2018

1. डी0आई0ओ0, एनआईसी, कलैक्ट्रेट कासगंज को इस निर्देश के साथ कि जिले के एनआईसी पोर्टल पर उक्त सूचना को प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें।
2. जिला सूचना अधिकारी कासगंज को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सार्वजनिक सूचना दो स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में सबसे कम स्पेस में सरकारी दर पर दि0 15.10.2018 से पूर्व प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
3. नाजिर सदर, कलैक्ट्रेट कासगंज मुख्य नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

/ **जिलाधिकारी**
कासगंज।